-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2022 में जानवरो के खेत में चले जाने के कारण गांव के ही एक व्यक्ति को गैर-इरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत पशुओं के खेत में जाने के कारण गांव के ही एक व्यक्ति को गैर-इरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 04.10.2022 की शाम को जनपद बांदा के बबेरु क्षेत्र के अहार के रहने वाले जागेश्वर पुत्र शिवराजी के द्वारा उसके खेत में जानवर चले जाने के कारण गांव के ही रामचन्द्र को लाठी डन्डों से मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया गया। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में मृतक की पत्नी विनीता की तहरीर पर थाना बबेरु में मु0अ0सं0 410/22 धारा 326/304 भादवि मे अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री पुनवासीराम गौरव द्वारा सम्पादित की गई थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर व श्री उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानु प्रताप तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 DJ न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **जागेश्वर पुत्र शिवराजी निवासी अहार थाना बबेरु जनपद बांदा।**